

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 29, 2019/कार्तिक 7, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 266

No. 293]

DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2019/KARTIKA 7, 1941

[N.C.T.D. No. 266

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2019

एफ. सं. 018/कलस्टर/टीपीटी/2019/755/76919.— सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 में 64) की धारा 45 की उप धारा (2) के खंड (डी) तथा इसी अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा 1 के खंड (डी) और दिल्ली सड़क परिवहन (संशोधन) अधिनियम, 1971 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली परिवहन निगम (मुफ्त एवं रियायती पास) नियामक, 1985 में एतद्वारा क्र.स.(3) के पैरा (vi) के बाद एक नया पैरा (vii) उपरोक्त नियामक में जोड़ते हुए परिवर्तन किया जा रहा है जो कि निम्न प्रकार है :

“(vii) दिल्ली परिवहन निगम बसों (एसी तथा नॉन एसी दोनों) में महिलाएँ “एकल यात्रा मुफ्त ट्रैवल पास” के जारी होने के बाद मुफ्त में यात्रा करेंगी। यद्यपि, उनके पास यात्रा करने के लिए टिकट खरीदने का विकल्प मौजूद रहेगा।”

2. यह अधिसूचना दिनांक 29 अक्टूबर 2019 से या इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् लागू किया जाएगा, दोनों में से जो भी बाद में आएगा।

3. यह अधिसूचना परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली सरकार से अनुमोदित है।

सुबोध कुमार, उपायुक्त (परिवहन)

**TRANSPORT DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi , the 28th October, 2019

**F. No.018/Cluster/Tpt/2019/755/76919** .—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 45 and clause (d) of sub-section(1) of section 19 of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950) read with Delhi Road Transport (Amendment) Act, 1971, the Delhi Transport Corporation (Free and Concessional Passes) Regulations, 1985 are hereby amended and after Para (vi) of serial number 3 of the Delhi Transport Corporation (Free and Concessional Passes) Regulation, 1985, the following shall be inserted namely:-

“(vii) Female passengers to travel free in DTC buses (both AC and Non-AC) by issuance of “Single Journey Free Travel Pass”. However, they will have the option to purchase ticket for the journey”.

2. This notification shall come into force on 29<sup>th</sup> October, 2019 or the date of its publication in the Official Gazette, whichever is later.

3. This issues with the approval of Minister (Transport), Government of NCT of Delhi.

SUBODH KUMAR, Dy. Commissioner (Transport)